उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्,

पं0दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट–ओ0एन0जी0सी0हेलीपैड,गढी कैंन्ट, देहरादून ।
फोन–0135–2559898, ई–मेल– utdbnazarat01@gmail.com

संख्या– /1–2–8 निष्प्रयोज्य वाहन/2022–23 देहरादूनः दिनांक मार्च, 2023

–::वाहन नीलामी सूचना::–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के निम्नलिखित निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों की नीलामी (जहाँ है, जैसा है के आधार पर) दिनांक 25 मार्च, 2023 के अपराह्न 02:00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, नियर ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड, गढ़ीकैण्ट देहरादून में बोलीदाताओं के समक्ष विभागीय निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी। इच्छुक निविदादाता निर्धारित प्रपत्र उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, नियर ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड, गढ़ीकैण्ट देहरादून के कार्यालय से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, देहरादून के नाम रू0 200+18% जी0एस0टी0=236/– (दो सौ छत्तीस मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जमा कर दिनांक 24.03.2023 को 12:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं। नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात 24.03.2023 को अपरान्ह 12:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में धरोहर धनराशि रू0 5,000/– (रू0 पाँच हजार मात्र) की एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करना होगा अन्यथा नीलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

क्र0सं0	वाहन का विवरण	वाहन संख्या	मॉडल
1.	एम्बेसडर (पैट्रोल चलित)	यू0ए0–07–क्यू–0987	2006
2.	एम्बेसडर (पैट्रोल चलित)	यू0ए0–07–क्यू–0988	2006

उक्त नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तें कार्यालय की वैबसाईट uttarakhandtourism.gov.in तथा कार्यालय नोटिस बोर्ड से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नियम व शर्तें

1. अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित निष्प्रयोज्य घोषित 02 वाहन (जहाँ है, जैसा है'' के आधार पर) पर नीलामी हेतु सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है।
2. इच्छुक नीलामी दाता वाहन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, पं0 दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन, नीम्बूवाला गढ़ीकैण्ट, देहरादून कार्यालय परिसर में किया जा सकता है।
3. निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, नियर ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड, गढ़ीकैण्ट देहरादून के नजारत अनुभाग कक्ष सं0 01 से 200+18% जी0एस0टी0= रू0 236/– (रू0 दो सौ छत्तीस मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जमा कर, नीलामी तिथि दिनांक 25.03.2023 से पूर्व अर्थात दिनांक 24.03.2023 तक किसी भी कार्य दिवस में एवं कार्यालय समय में प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
4. निविदा दिनांक 25/03/2023 को अपराह्न 03:00 बजे अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, नियर ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड, गढ़ीकैण्ट देहरादून कार्यालय में खोली जायेगी, निविदा खोलते समय निविदाकर्ता या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
5. सफल निविदा दाता की निविदा स्वीकार होने पर उन्हें तीन दिन के भीतर सम्बन्धित राशि की 100% धनराशि जमा करना आवश्यक होगा तथा वाहन को ''जहाँ है, जैसा है'' की स्थिति में तीन दिन के अंदर उठाना अनिवार्य होगा। अन्यथा जमानत धनराशि जब्त की जायेगी।
6. उच्चतम निविदा राशि वाले सफल निविदा दाता द्वारा निर्धारित समय तक निष्प्रयोज्य वाहन को नहीं उठाने की स्थिति में द्वितीय/तृतीय क्रम के सफल निविदा दाता को नीलामी वाहन प्रदान करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. सफल निविदा दाता को उच्चतम धनराशि के अतिरिक्त (18% जी0एस0टी0 कर) अतिरिक्त देना होगा।
8. स्क्रैप के उद्देश्य से गाड़ी लेने पर सफल निविदा दाता द्वारा वाहन के उच्चतम मूल्य + 18% जी0एस0टी0 के अतिरिक्त 2% टी0सी0एस0 कर भी अतिरिक्त देना होगा।
9. निविदा सीलबंद लिफाफे में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, नियर ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड, गढ़ीकैण्ट देहरादून को संबोधित कर जमी की जायेगी, लिफाफे के ऊपर **''निष्प्रयोज्य वाहन क्रय हेतु निविदा''** (वाहन संख्या के उल्लेख सहित) भी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
10. निविदा दाता को निविदा के साथ धरोहर राशि **रू0 5,000/– (रू0 पाँच हजार मात्र)** का FDR मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, नियर ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड, गढ़ीकैण्ट देहरादून के नाम से, जो कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसकी शाखा देहरादून में हो, में देय हो संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा अमान्य मानी जायेगी।
11. नीलामी/निविदा खोलने की निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित हो जाने पर आगामी कार्य दिवस हेतु स्वतः ही बढ़ी हुई मानी जायेगी।
12. निविदा दाता द्वारा बड़े लिफाफे के बाहर वाहन नीलामी हेतु निविदा प्रपत्र वाहन संख्या सहित अंकित किया जाना अनिवार्य है साथ ही बड़े लिफाफे के अन्दर वाहन नीलामी हेतु तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा के उल्लेख सहित पृथक–पृथक लिफाफे रखने अनिवार्य है।
13. सशर्त निविदा अमान्य की जायेगी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदायें स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगी, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इसके साथ ही कोई भी विवाद होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)